



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 11-11-2022

थाना बडौत पुलिस द्वारा लोहा व्यापारी का अपहरण कर एक करोड़ की फिरौती मांगने वाले गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त गौरव व अभिषेक के कस्बा बडौत में बने मकानों को किया कुर्क ।

एक करोड़ की फिरौती के लिए बडौत के व्यापारी का अपहरण

सोमवार तड़के पांच बजे हुई वारदात, साढ़े सात घंटे बाद लोहा व्यापारी को छोड़ा

अमर उजाला क्यूरी
बडौत (आन्ध्रप्रदेश): सोमवार को लूट के दौरान लोहा के बड़े व्यापारी ने बडौत में सोमवार तड़के एक और दुस्महर्षिक वारदात को अंजाम दिया। लोहा व्यापारी का अपहरण करने में सफल बंदूकबाजों ने मोलाना खंडे पट्टी में लोहा व्यापारी आदिश जैन का अपहरण कर लिया और उनके बेटे के भी अपहरण पर फोन कर एक करोड़ रुपये की फिरौती मांगी। दोपहर डेढ़ बजे बंदूकबाज व्यापारी को रेलवे स्टेशन के पास छोड़कर चलाए गए। एडवोकेट राजीव सभरवाल ने व्यापारी की जमानतपत्री ली है।

व्यापारी बंधी, लाला पकड़ होने की बात कहकर बंदूकबाजों ने छोड़ा

एडवोकेट का दावा, पुलिस का दबाव बढ़ने पर छोड़ कर भाग गए बंदूकबाज

अभिप्रेक्षण खत्म नहीं हुआ: एडवोकेट

एडवोकेट राजीव सभरवाल का दावा है कि पुलिस के दबाव के चलते बंदूकबाज व्यापारी को छोड़कर भाग गए हैं। अन्य पुलिस का अभिप्रेक्षण खत्म नहीं हुआ है। बंदूकबाजों के विचार में महत्वपूर्ण सुगा हाथ लगे हैं। वारदात में घृने और हीरोकप के बंदूकबाजों की एक से अधिक टीम शामिल रही है।

व्यापारी आदिश जैन।

300 अर्द्धों पर घंटों बांध चुकते रहे बंदूकबाज: पृष्ठ 2

घंटे बाद व्यापारी के मोबाइल से उनके बेटे आशिक को कॉल कर अपहरण की जानकारी देते हुए एक करोड़ रुपये की फिरौती मांगी। पुलिस ने भी बंदूकबाजों को पकड़ने में सफल नहीं हुआ। पुलिस ने भी बंदूकबाजों को पकड़ने में सफल नहीं हुआ। पुलिस ने भी बंदूकबाजों को पकड़ने में सफल नहीं हुआ।

दिनांक 27.10.2020

पुलिस ने बडौत में दो गैंगस्टर्स के मकानों को किया कुर्क

पुलिस - प्रशासन ने 18.82 लाख रुपये की संपत्ति सील की, लोहा व्यापारी के अपहरण में थे शामिल, तैनात रहा पुलिस बल

दो भाइयों की 15.08 लाख की संपत्ति कुर्क

कलकत्ता, बंगाल: सिडको की बंदूकबाजों ने दो गैंगस्टर्स के मकानों को सील कर लिया। लोहा व्यापारी के अपहरण में शामिल दो भाइयों की 15.08 लाख की संपत्ति कुर्क की गई।

दो भाइयों की 15.08 लाख की संपत्ति कुर्क

कलकत्ता, बंगाल: सिडको की बंदूकबाजों ने दो गैंगस्टर्स के मकानों को सील कर लिया। लोहा व्यापारी के अपहरण में शामिल दो भाइयों की 15.08 लाख की संपत्ति कुर्क की गई।

दो भाइयों की 15.08 लाख की संपत्ति कुर्क



संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.10.2020 को कस्बा बडौत के लोहा व्यापारी को आदिश जैन पुत्र मुल्तान जैन निवासी खत्रीगढी कस्बा व थाना बडौत का अपहरण कर 01 करोड़ की फिरौती मांगने वाले गैंगस्टर अभियुक्त

गौरव पुत्र वीरेन्द्र निवासी इमली वाली गली गांधी रोड कस्बा व थाना बडौत व अभियुक्त अभिषेक जैन पुत्र रमेश जैन निवासी कुन्दनपुरी रेलवे रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत के विरुद्ध दिनांक 10-11-2022 को 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्तगणों की सम्पत्ति (मकान) कीमत लगभग 18.82 लाख रुपये को कुर्क किया गया है तथा क्षेत्राधिकारी बडौत को सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 11.11.2022

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध मादक पदार्थ तस्क़र को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 03 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्क़रों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 03 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के



सम्बन्ध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-समीर पुत्र मौ० इकबाल निवासी प्रशान्त बिहार करबा व थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

- 03 किलोग्राम अवैध गांजा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० कृपेन्द्र सिंह ।

2-है०का० 120 मनोज कुमार

3-का० 403 नितिन त्यागी

4-का० 166 कुलदीप देशवाल



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनाँक 11.11.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 922/22 धारा 307/506
भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 25.09.2022 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री आर्यन पुत्र नरेन्द्र निवासी बावली चुंगी कस्बा व थाना बडौत ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.आशीष पुत्र अरुण निवासी सुभाष नगर कस्बा व थाना बडौत, 2. देवांश निवासी काठा थाना कोतवाली बागपत, 3.यशमान निवासी सिनौली थाना छपरौली व 4. शुभम निवासी मवीकलां थाना कोतवाली बागपत द्वारा उसके ऊपर जान से मारने की नीयत से कांच की बोतल व तमंचे की बट से प्रहार किया । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 922/22 धारा 307/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 922/22 धारा 307/506 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- शुभम पुत्र तेजपाल सिंह निवासी ग्राम मवीकला थाना कोतवाली बागपत जनपद
बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0- श्री राजकुमार गौतम कोतवाली बागपत

2-का0 1130 सोनू तेवतिया कोतलाली बागपत ।

3-का0 885 हरिओम कोतवाली बागपत ।